

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 50/2018



1. सुखवीर पुत्र
2. हरिओम पुत्र
3. मुरलीधर पुत्र
4. सुरेश कुमार पुत्र

श्रीकृष्ण जातियान मीणा निवासीगण मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

..... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. श्री कृष्ण पुत्र श्री कंवरलाल
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण
3. चन्द्रकलां पुत्री श्रीकृष्ण
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बंटवारा व घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम यादव

दायर दिनांक-14.06.2018

निर्णय दिनांक : 16.07.2018

वादपत्र में वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नं० 57 रकबा 1.73 है, खसरा नं० 68 रकबा 0.36 है, खसरा नं० 96 रकबा 0.27 है, खसरा नं० 115 रकबा 0.13 है, खसरा नं० 118 रकबा 0.69 है, खसरा नं० 119 रकबा 0.06 है, खसरा नं० 120 रकबा 0.32 है, खसरा नं० 225/345 रकबा 0.97 है कुल कित्ता 8 रकबा 4.53 है आराजी दर्ज है। तथा ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नं० 695 रकबा 1.06 है आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी नं० 2 व 3 वादीगण के सगे भाई-बहिन है। प्रतिवादी नं० 1 वादीगण का पिता है, जिसके नाम समस्त खाते की आराजी दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 की वृद्धावस्था है। तथा अक्सर बीमार रहते है। वादीगण मौके पर आपसी सहमति से प्रतिवादी नं० 1 की रजामंदी से निम्न प्रकार से आराजी को काश्त कर रहे है, वादीगण गत 20-25 वर्षों से अपने-अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर रहे है।

नाम	खसरा नं०	रकबा
वादी नं० 1 सुखवीर	115	0.13
	118	0.69
	119	0.06
	120	0.32
कुल किता	4	रकबा 1.20 है०

नाम	खसरा नं०	रकबा
वादी नं० 2 हरिओम	57	0.96 दक्षिणी दिशा

नाम	खसरा नं०	रकबा
वादी नं० 3 मुरलीधर	57	0.77 उत्तरी दिशा
	225/345	0.97 दक्षिणी दिशा
कुल किता	2	रकबा 1.74 है०

नाम	खसरा नं०	रकबा
वादी नं० 4 सुरेश	68	0.36
	96	0.27
कुल किता	2	रकबा 0.63 है०

उक्त आराजी ग्राम मूण्डला में स्थित है।

ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में आराजी निम्न प्रकार है:-

नाम	खसरा नं०	रकबा
प्रतिवादी नं० 1 श्री कृष्ण	695 मि०	0.34 उत्तरी दिशा

नाम	खसरा नं०	रकबा
प्रतिवादी नं० 2 हरिओम	695 मि०	0.72 दक्षिणी दिशा

यह कि प्रतिवादी नं० 1 व 3 ने स्वेच्छा से अपना हिस्सा नगद राशि प्राप्त करके प्रेम व स्नेहवश वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। उपरोक्त विभाजन के अनुसार वादीगण व

वादीगण काशत कर रहे है। प्रतिवादी नं० 1 के खाते में दर्ज आराजी में वादीगण का जन्म जात हिस्सा नही है। अतः सुखवीर के खाते में खसरा नं० 115 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 118 रकबा 0.69 है०, खसरा नं० 119 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 120 रकबा 0.32 है०, कुल किता 4 रकबा 1.20 है० वाके माल मूण्डला की आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें वादी नं० 2 हरिओम के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.96 है० आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से ये आराजी खारिज की जावें। वादी नं० 3 मुरलीधर के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.77 है० उत्तरी दिशा, खसरा नं० 225/345 रकबा 0.97 है० दक्षिणी हिस्सा की आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें। वादी नं० 4 सुरेश के खाते में खसरा नं० 68 रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 96 रकबा 0.27 है० आराजी दर्ज की जावें व प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल के खसरा नं० 695 रकबा 1.06 है० में से वादी नं० 2 हरिओम के खाते में 0.72 है०, दक्षिणी दिशा की दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाते से खारिज की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मजमेंआम में उपस्थित होकर दिनांक 12.07.2018 को जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समस्त बिन्दुओ को स्वीकार किया है। एवं विशेष आपत्तियों में निवेदन किया है कि प्रतिवादी नं० 2 व 3 ने वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 से अपने हिस्से की राशि प्राप्त कर ली है, इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी नं० 2 व 3 का कोई हिस्सा नही है, और हिस्सा नही लेना चाहते है, प्रतिवादी नं० 2 व 3 का हिस्सा बराबर रूप में सभी वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 को बांट दिया जावें। इसमें प्रतिवादी नं० 2 व 3 को कोई आपत्ति नही है। वाद डिकी किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। चूकि प्रतिवादीगण को सुखवीर के खाते में खसरा नं० 115 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 118 रकबा 0.69 है०, खसरा नं० 119 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 120 रकबा 0.32 है०, कुल किता 4 रकबा 1.20 है० वाके माल मूण्डला की आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें वादी नं० 2 हरिओम के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.96 है० आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से ये आराजी खारिज की जावें। वादी नं० 3 मुरलीधर के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.77 है० उत्तरी दिशा, खसरा नं० 225/345 रकबा 0.97 है० दक्षिणी हिस्सा की आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें। वादी नं० 4 सुरेश के खाते में खसरा नं० 68 रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 96 रकबा 0.27 है० आराजी दर्ज की जावें व प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें ग्राम

किशनपुरा तहसील मांगरोल के खसरा नं० 695 रकबा 1.06 है० में से वादी नं० 2 हरिओम के खाते में 0.72 है०, दक्षिणी दिशा की दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाते से खारिज कीये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं वादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर वाके माल मूण्डला तह० मांगरोल की आराजी खसरा नं० 115 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 118 रकबा 0.69 है०, खसरा नं० 119 रकबा 0.06 है०, खसरा नं. 120 रकबा 0.32 है०, कुल किता 4 रकबा 1.20 है० आराजी वादी क्रम 1 सुखवीर के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें, वादी नं० 2 हरिओम के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.96 है० आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से ये आराजी खारिज की जावें, वादी नं० 3 मुरलीधर के खाते में खसरा नं० 57 रकबा 0.77 है० उत्तरी दिशा, खसरा नं० 225/345 रकबा 0.97 है० दक्षिणी हिस्सा की आराजी दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें, वादी नं० 4 सुरेश के खाते में खसरा नं० 68 रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 96 रकबा 0.27 है० आराजी दर्ज की जावें व प्रतिवादी नं० 1 के खाता संख्या 85 में से खारिज की जावें एवं ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल के खसरा नं० 695 रकबा 1.06 है० में से वादी नं० 2 हरिओम के खाते में 0.72 है०, दक्षिणी दिशा की दर्ज की जाकर प्रतिवादी नं० 1 के खाते से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तआनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया